

**क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर -19,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर**

दिनांक..... /09/2023

--:आदेश:--

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा उपअभियंता (सिविल) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रदत्त अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से दिनांक 08.05.2022 को आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जारी विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट सूची के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण की दस्तावेज सत्यापना उपरान्त विभागीय छानबीन समिति के अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/4006 दिनांक 04.05.2023 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 4008 दिनांक 08.05.2023, आदेश क्रमांक 4212, 4214 दिनांक 12.05.2023, आदेश क्रमांक 5444 दिनांक 15.06.2023 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/पार्ट-1/6933 दिनांक 28.07.2023 द्वारा उपअभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी किये गये हैं। अभ्यर्थियों के उपअभियंता (सिविल) के पद पर उपस्थित/कार्यग्रहण न करने से रिक्त हुये पदों पर विभागीय छानबीन समिति के अनुशंसा अनुसार प्रतीक्षा सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) के पद पर वेतन पुनरीक्षित नियम-2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रुपये 35400-112400 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है।

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/ पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आदर्श शर्मा	पवन शर्मा	अग्रसेन वार्ड अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) पिन नं. 497001	अनारक्षित	08.03.1997	96		कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर
2.	अनिकेत आतकुरवार	किशोर कुमार आतकुरवार	जी.वी.-33, गीताजंली बिहार, नेहरू नगर बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495001	अनारक्षित	30.09.1994	101		कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर
3.	अनुराग टंकोरिया	आनंद टंकोरिया	पिता आनंद टंकोरिया, वार्ड नं. 03, जैन मंदिर गली, पुरानी बस्ती नैला-जांजगीर (छ.ग.) पिन नं. 495668	अनारक्षित	19.12.1994	102		कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा
4.	अमित तिवारी	परमेश्वर तिवारी	ग्राम व पोस्ट-सेलर, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495442	अनारक्षित	15.11.1995	103		कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग संभाग क्र.-03, माचाडोली

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/ पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	अभिषेक पातरे	बाबूराव पातरे	मकान नं. 423, वार्ड-11, अवंती चौक घुमका, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन नं. 491444	अनारक्षित	20.03.1999	107		कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव
6.	मुकुल त्रिवेदी	रविकांत त्रिवेदी	ए-3, सीता विहार के पीछे बसंत कान के पास अवंती बिहार सेक्टर-2, रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492006	अनारक्षित	02.10.1992	108		उप संचालक, जल मौसम विज्ञान संभाग क्र. -04, रायपुर
7.	अमन कुमार बहिदार	बसंत कुमार बहिदार	बसंत कुमार बहिदार मधुबन पारा, भानुप्रताप नगर, रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496001	अनारक्षित	02.06.1994	109		कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा जिला-रायगढ़
8.	सौरभ नानवानी	खूबचंद नानवानी	705, जनता कॉलोनी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492001	अनारक्षित	15.06.1995	112		कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर
9.	कौशल कश्यप	मनहरण कश्यप	राजीव कश्यप द्वारा कौशल कश्यप विनोबानगर वार्ड क्र.-24, सारती गोपाल मंदिर के पास रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496001	अ.पि.व.	06.10.2001	171	98	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़
10.	आकाश ताम्रकार	नीरज ताम्रकार	मकान नं. 14/109, जोड़ा पीपल के पास केदारपुर, अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिन नं. 497001	अ.पि.व.	15.03.1996	173	99	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर
11.	गरिमा सिंह	तोमन सिंह	पुराना कलेक्टर ऑफिस के पीछे, वार्ड नं. 18, निर्मला भवन, जिला-जांजगीर (छ.ग.) पिन नं. 495668	अनारक्षित (महिला)	05.11.1993	364	60	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर
12.	भावना सिन्हा	अश्वनी कुमार सिन्हा	मकान नं. 280, आदर्श नगर बोरसी रोड नेहा प्लास्टिक के पास, दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 491001	अ.पि.व. (सी.एल.) (मुक्त वर्ग महिला)	29.03.2000	377	61	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग
13.	रूपाली देशमुख	यशवंत कुमार देशमुख	प्लॉट नं.-55/54, मकान नं.-51/704 साकेत कालोनी कातुल बोर्ड, दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 490022	अनारक्षित (महिला)	18.02.1998	427	67	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव
14.	सुष्मिता सिन्हा	गोवर्धन सिन्हा	ग्राम-चकनार, पोस्ट-गंडई, तहसील- गंडई, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) पिन नं. 491888	अ.पि.व. (मुक्त वर्ग महिला)	15.10.1994	452	42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा
15.	प्रियंका	निरंजन	ग्राम व पोस्ट-अमलीपदर वि.ख.-मैनपुर, तहसील- मैनपुर जिला-गरियाबंद (छ.ग.) पिन नं. 493891	अ.पि.व. (मुक्त वर्ग महिला)	19.11.1996	454	43	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. -01, रायपुर

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/ पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	दीपा वर्मा	शिवकुमार वर्मा	मकान नं. आर.-16, शकुंतला नगर, धनोरा मानव पेट्रोल पंप के सामने, धनोरा पो.- हनोदा, तह.-दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 491001	अ.पि.व. (महिला)	03.11.1994	462	44	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर
17.	अल्का पटेल	दिनेश पटेल	ग्राम व पोस्ट-गोर्गा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं.	अ.पि.व. (महिला)	26.03.1995	463	45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़
18.	दीप्ती ठाकुर	बसंत ठाकुर	दीप्ती ठाकुर, एच नं.-75 के ग्राम-सैगोना मजगांव रोड, कवर्धा जिला- कबीरधरम (छ.ग.) पिन नं. 491995	अ.ज.जा. (महिला)	14.02.1995	2068	146	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा
19.	विजेन्द्र कुमार	हरप्रसाद	ग्राम-देवरी, पो.आ. -बाकीमोगरा तहसील- कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495447	अ.पि.व. (दिव्यांगजन)	23.04.1990	7690	44	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्र.- 03, माचाडोली

नियुक्ति की शर्तें :-

- (1) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 372/260/वि/नि/चार /2020 दिनांक 29.07.2020 एवं क्रमांक 375/260 वि/नि/चार/2020 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी तथा नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः न्यूनतम वेतनमान का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा। परीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते जो शासन द्वारा देय होंगे, प्राप्त होंगे। संतोषजनक परीक्षा अवधि समाप्ति के उपरान्त कर्मियों का वेतन उस सेवा या पद को लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत करते हुए उन्हें नियमित किया जायेगा :-
- (2) किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक् कर दिया जायेगा।
- (4) अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (5) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (7) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधियां पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।
- (8) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का परिपत्र क्रमांक 282/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 में किये गये प्रावधान के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी।
- (9) अभ्यर्थियों को उनके पदस्थ किये गये कार्यालय में पदस्थापना आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।

- (10) कार्यग्रहण करने के तुरन्त पश्चात अभ्यर्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
 - (11) तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (12) चयनित अभ्यर्थी को वर्क्स डिपार्टमेंट मैन्युअल भाग -1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकीय परीक्षा 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
 - (13) कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - (14) उपअभियंता (सिविल) के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट क्रम अनुसार रहेगा।
 - (15) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधित दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार/अभ्यर्थी, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।
- 3/ प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।
- 4/ उपरोक्त नियुक्तियों माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।

(इन्द्रजीत उइके)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर अटल नगर

रायपुर दिनांक 05/09/2023

पृष्ठांकन क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/8196

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
 - (2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर शासन के पत्र क्रमांक एफ01-16/31/स्था/2020, दिनांक 02.12.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
 - (3) समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,।
 - (4) समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग,।
 - (5) जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, (छ.ग.)।
 - (6) अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाईट में <http://www.cgwrd.in> तत्काल अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - (7) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग,।
 - (8) संबंधित अभ्यर्थी कृपया अपना पदस्थीकरण आदेश जल संसाधन विभाग की विभागीय वेबसाईट में <http://www.cgwrd.in> से डाउनलोड कर अपने पदस्थी कार्यालय में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
- ☆ कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जाये।
- ☆ संबंधित कार्यालय जल संसाधन की विभागीय वेबसाईट में <http://www.cgwrd.in> में अपलोड किये गये पदस्थापना आदेश को डाउनलोड कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

☆ टीप संबंधित कार्यालयों के लिए

(इन्द्रजीत उइके)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर अटल नगर